From

The Director General,
Treasuries & Accounts Department,
Haryana, Chandigarh.

To

Joint Director,
Data Management Cell,
Treasuries & Accounts Department,
Haryana, Chandigarh.

Memo No. TA-HR (SO)2017/ 8998 Dated: 2/12/17

Subject:- **Annual Administrative Report of Treasuries and Accounts Department Haryana for the Year 2015-16.**

Please refer to Supdt. Cabinet for Secretary, Council of Minister Haryana letter No. U.O.No.9/279/2017-2 Cabinet, Dated Chandigarh, 27th September, 2017, which is forwarded by Additional Chief Secretary of Government Haryana FD Vide No. 14/32/2017-5F.A dated 03.11.2017. (copy attached)

You are requested to publish the Administrative report of Treasuries & Accounts Department for year 2015-16 on departmental website.

Enclosure:-As above

Flying Squad Officer,
Treasuries & Accounts Department,
Haryana, Chandigarh.

JD (DMC)

2/12/17

निदेशक खजाना एवं लेखा विभाग हरियाणा की प्रशासकीय रिपोर्टः–

खजाना एवं लेखा विभाग सरकार के लेन–देन का प्राथामिक रिकार्ड रखने के लिए एक मूलभूत वित्तीय यूनिट है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान खजाना एवं लेखा संगठन का प्रशासनीय नियंत्रण वित्त विभाग, हरियाणा के अधीन रहा है। राज्य की जनता तक खजानों की सुविधा उपलब्ध करना तथा बजट प्रवधान पर नियंत्रण रखना इस विभाग का प्राथमिक कार्य है। इसके लिए विभाग द्वारा वित्तीय सहायता एवं एन आई सी के माध्यम से संमेकित वित्तीय प्रंबधन एवं मानव संसाधन प्रंबधन प्रणाली चलाई है। जिसके फल स्वरूप विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके है। इस प्रणाली के दो संभाग हैः

1. संमेकित वित्तीय प्रंबधन एवं मानव संसाधन प्रंबधन। प्रथम संभाग के उदेश्य को प्राप्त कर लिया गया जबकि दूसरे संभाग के उदेश्यों को शीघ्र प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे है।

वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशक खजाना एवं लेखा संगठन के विभागध्यक्ष रहे है। संगठन में तीन सुंयक्त निदेशक, दो उप निदेशक, एक उडन दस्ता अधिकारी, एक कोषाधिकारी (मु0), दो प्रोग्रामर, एक सहायक जिला न्यायवादी, तीन अधीक्षक, दो लेखाअधिकारी, चार अनुभाग अधिकारी कार्यरत है। विभाग के उप–संभाग के रूप में लेखा प्रशिक्षण संस्थान व पेंशन वितरण कोष्ट पंचकूला में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त राज्य में 21 कोषाधिकारी एवं 84 सहायक कोषाधिकारी जिलों में कार्यरत है। जिनके द्वारा सरकारी लेन–देन बैकों के माध्यम से किया जाता है।

खजाना विभाग के कम्पयूटराईजेशन का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर दिया गया है। सरकार के देय सभी क्लेमों को खजाना में प्रस्तुत किया जाता है जहां पर पूर्ण परीक्षण का कार्य विभाग के विभिन्न वित्तीय प्रंबधन योजनाओं के माध्यम से किया जाता है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि यह क्लेम ठीक है और वित्तीय विभाग और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई हिदायतों के अनुसार है। प्रारंभिक लेखों को रखने तथा प्राप्ति व खर्चे को सरकार की ओर से निर्धारित लेखा शीर्ष में वर्गीकरण का कार्य भी इस विभाग के अन्य कार्यो में आता है। राज्य की मासिक और वार्षिक विवरणी को तैयार करने के लिए प्रत्येक खजाना द्वारा मासिक वर्गीकृत लेखा, महालेखाकार हरियाणा को भेजा जाता है।

31 मार्च 2016 को निदेशालय एवं खजाना संगठन में राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारी/ कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार से थीः–

क.सं.	स्वीकृत	भरा हुआ	खाली	कुल
संयुक्त निदेशक	3	3	0	3
उड़न दस्ता अधिकारी	1	0	1	1
उपनिदेशक	2	0	2	2
प्रोग्रामर	2	2	0	2
लेखा अधिकारी	2	2	0	2
कोषाधिकारी	22	17	5	22
नेटवर्किंग इन्जीनियर	1	0	1	1
अधीक्षक	3	1	2	3
अनुभाग अधिकारी	4	3	1	4
सहायक	170	111	59	170
स्टैनो	3	0	3	3
सहायक जिला न्यायवादी	1	1	0	1
सहायक कम अवर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	21	0	21	21
सहायक अधीक्षक कोषाधिकारी	23	1	22	23
सहायक खजांची	77	44	33	77
सहायक खजाना अधिकारी	84	34	50	84
लिपिक	273	138	135	273
चालक	3	3	0	3
दफतरी	7	4	3	7
सेवादार	145	62	83	145
चौकीदार	32	8	24	32
कुल	**879**	**434**	**445**	**879**

बजट व्यवस्थाः—

खजाना तथा लेखा विभाग हरियाणा के वर्ष 2015—16 के मूल बजट में कुल रू 408617000 (रूपये चालीस करोड छियासी लाख सतरह हजार केवल) की राशि की व्यवस्था की गई जिसमें से रू 850000000 (रूपये पचासी करोड केवल) प्लान तथा रू 323617000 (रूपये बतीस करोड छतीस लाख सतरह हजार केवल) नॉन प्लान शीर्षो के अन्तर्गत रखे गये। वर्ष 2015—16 दौरान बजट व्यवस्था एवं व्यय का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर दिया गया है।

विभाग द्वारा चलाये गए विभिन्न ई गर्वनेन्स कार्यक्रम/ योजनाएंः–

1. **ई–ग्रास (E-GRAS) :-**

सरकार की सभी प्रकार की प्राप्तियों एवं उसका लेखा केन्द्रीकृत स्तर पर तैयार करने के लिए e-Gras (Govt. Receipt and Accounting System) 2013 से राज्य में लागू है। सरकार की सभी प्रकार की प्राप्तियों का लेखा केन्द्रीकृत स्तर पर तैयार करने हेतु साइबर खजाना की स्थापना चण्डीगढ़ खजाने में की गई है जो प्रत्येक माह सरकारी प्राप्तियों का लेखा तैयार कर महालेखाकार हरियाणा को ऑनलाईन एवं फिजिकल रूप में भेजती है। e-GRAS का समन्व्यय राज्य के मुख्य विभागों जैसे– HPSC, HSSC बिक्री एवं कर विभाग, इत्यादि के साथ किया गया है। प्रत्येक नागरिक किसी भी प्रकार की प्राप्ति को नकद डेबिट/ क्रेडिट कार्ड एवं ई–बैंकिग के माध्यम से e-GRAS पर चलान बनाकर पांच बैकों –एस. बी.आई, एस.बी.ओ.पी, आई.डी.बी.आई, सी.बी.आई, व पी.एन.बी के भारतवर्ष के किसी भी शांखा में जमा करा सकता है।

2. **ई– स्टाम्पिंग (e-Stamping):-**

वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग द्वारा इलट्रोनिक स्टाम्पिंग की शुरूआत की गई थी। जिसमें अन्तर्गत फिजीकल नॉन–जुडीश्यिल स्टम्प की जगह आनलाईन स्टाम्पिंग शुरू की गई थी। इसमें अर्न्तगत कोई भी व्यक्ति सम्बधित बैंक से पैसा जमाकर कभी भी ऑनलाइन स्टैम्प बना सकता है जिसका प्रयोग रेवेन्यु विभाग में सम्पति रजिस्ट्रेशन एवं अन्य रूप में किया जा सकता है।

3. **मानव संसाधन प्रंबधन प्रणाली (HRMS):-**

नियमित कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार के संर्विस पुस्तिका, गोपीनय रिपोर्ट, छुट्टियाँ, स्थानानतरण एसी.पी इत्यादि के ऑनलाईन डाटा के रख–रखांव हेतु मानव प्रंबधन प्रणाली साफ्टवेयर का विकास किया गया है। वर्तमान में खजाना व लेखा विभाग, स्माल सेविंग विभाग, लोकल आंडिट एवं योजना विभाग का डाटा सफलता पूर्वक साफ्टवेयर में फीड किया जा चुका है। अन्य सभी विभागों को इसके लिए खजाना विभाग द्वारा समय–समय पर हिदायते जारी की जा रही है ताकि समय बद्ध तरीके से राज्य के सभी कर्मचारियों का संपूर्ण डाटा स्थानानतरित किया जा सके। खजाना लेखा विभाग को इस कार्यहेतु नॉडल विभाग नियुक्त किया गया है।

4- **ई–पोसटिग (E-posting):-**

सभी विभागो में किसी भी प्रकार नये पदो के सृजन हेतु एवं अन्य पदो के समाप्त/सरेण्डर करने हेतु, ई–पोस्ट सोफटवेयर की संरचना की गई है। जिस की शुरूआत मई 2014 से कर दी गई है। खजाना लेखा विभाग द्वारा सफलता

पूर्वक ई–पोस्ट में डाटा स्थानन्तरित कर दी गई। सभी विभागों के ई.सी.ए/ ई. सी.ओ/ डी.डी.ओ. को इसके लिए समय–समय पर ट्रैनिंग की व्यवस्था इस विभाग द्वारा की जाती रही है। जब किसी विभाग द्वारा अपने अनुमोदित पदों एवंम वर्तमान संख्या का विवरण अंतिम रूप में भर कर वित्त विभाग को भेजा जाता है तो इसे पूर्णतया फ्रीज कर दिया जाता है। इस व्यवस्था के तहत किसी भी विभाग द्वारा पदों की रिपोर्ट को देख कर नए पदो के सृजन/समर्पण/स्थानान्तरण हेतु क्रिया का समय एक निश्चित मानक के तहत निश्चित समय में किया जा सकता है। यह व्यवस्था किसी विभाग को मासिक/ वार्षिक वित्तीय विवरण भी तैयार करने में सहायक है।

5. <u>ई– पैशंन (E-pension):-</u>

ई–पेशंन प्रणाली का विकास विभाग द्वारा 10/2012 से किया गया था जिसके तहत सरकारी सेवा से निवृत सभी पेशनरों की रेगुलर पेशंन एकीकृत रूप से ''पेंशन वितरण कोष्ठ'' द्वारा की जा रही है। इसके अलावा अन्य पेंशन लाभ जैसे कि मृत्यु एवं सेवा निवृति उपदान पेंशन रूपान्तरण अदायगी, एल.टी.सी आदि का भुगतान इसी प्रणाली के तहत खजाना कार्यालयों द्वारा की जा रही है। इसी प्रणाली के तहत विभिन्न बैकों में रख गए तकरीबन 1.5 लाख पेंशन भुगतान आदेश पत्र (पी.पी.ओ) को चरणबद्ध तरीके से खजानों में स्थानान्तरित किया जा रहा है। जिसका अंतिम लक्ष्य दिसंबर 2017 तक रख गया है। मार्च 2016 से अब तक करीब 55 हजार पेंशनरों की पेंशन भुगतान इसी प्रणाली द्वारा की जा रहीं है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत कर्मचारियों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा आधार कार्ड से जीवन प्रमाण पत्र को जोड़ा गया है। अब सेवानिवृत कर्मचारी को भौतिक रूप से खजानो में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। बायोमेट्रिक प्रणाली के तहत कोई भी पेंशनर अपना जीवन प्रमाण किसी भी सरकारी ऐंजसी (खजाना व उप खजाना, कोमन सर्विस सेन्टर इत्यादि) एवंम निजी स्तर पर भी नियमानुसार दर्ज कर सकता है।

6. <u>ऑनलाईन बजट वितरण, नियंत्रण एवं तैयारी प्रणाली:–</u>

यह प्रणाली 4/2010 से इस विभाग द्वारा बजट प्रंबधन हेतु शुरू की गंई थी। इस प्रणाली के लागू होने से पूर्व बजट प्रंबधन में कई प्रकार की खामिया थी जैसे कि समय एवं सही अकाउंट हेड में बजट का आदान वितरण अधिकारी/खजाना अधिकारियो तक नही पंहुचना जिसके कारण हमेंशा या तो तय समय से देरी या अधिक भुगतान की आंशका रहती थी। कई अवसर पर विभागों द्वारा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित बजट से ज्यादा वितरण कर दिये जाते थे जिसके उपर नियंत्रण संभव नहीं था। ऑनलाईन बजट प्रणाली द्वारा सभी खामियों पर नियंत्रण रखा जाना संभव बनाया गया है। अब बजट का वितरण शीघ्र ही सभी विभागों को एवं विभागों द्वारा डी.डी.ओ को कर दिया जाता है। अब डी.डी.ओ द्वारा अनुमोदित बजट से अधिक रकम का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इस प्रणाली में बजट तैयार करने की भी व्यवस्था की गई है। जिसके

तहत डी.डी.ओ बजट तैयार कर ऑनलाईन अपनें नियंत्रक अधिकारी एवं विभागध्यक्ष को निश्चित समय सीमा में भेजा जा सकता है। इसी प्रणाली के तहत वित्त विभाग द्वारा अपने व्यय पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है।

7- ई–बिलिंग (E-billing):-

आदान वितरण अधिकारी द्वारा सभी प्रकार के बिलों को ऑनलाईन तैयार कर खजानें में प्रस्तुत करने हेतु इस प्रणाली का विकास किया गया है। 4/2012 से प्रथम अवसर पर वेतन बिलों को इस पद्धति से बनाना आरंभ किया गया था। 4/2013 से इस पद्धति द्वारा सभी प्रकार के बिलों के लिए कर दिया गया है। इस प्रणाली द्वारा प्रत्येक माह लगभग 1.50 लाख बिल बनाये जाते है और खजानों में प्रस्तुत किए जाते है। इस प्रणाली से डी.डी.ओ एवं खजाने स्तर पर बिलों को बनाने एवं पास करने की प्रकिया को बहुत आसान एवं त्वरित बना दिया है। अब बिलों के माध्यम से भुगतान किसी भी बेनिफिशरी के खाते में शीघ्र जमा करवाना संभव हो पाया है। इस प्रणाली के अंर्तगत विभाग द्वारा 2015–16 में **ई–टीडीएस** की सुविधा विस्तारित की गई है। अब सभी डी.डी.ओ को ई–टीडीएस की फाइल प्रत्येक क्वाटर मे बनाने की सुविधा, बिना सी.ए की सहायता से प्रदान की गई है। डी.डी.ओ द्वारा ई–टीडीएस की फाइल को 40 रू की मामूली रकम दे कर आयकर विभाग की साईट पर अपलोड करवाया जा रहा है। इस प्रकार पूरे राज्य में इस प्रणाली को लागू होने से करोडो रूपए की बचत की जा रही है जोकि सीए को प्रदान की जाती रही है।

8. ऑनलाईन ट्रेजरी इन्फॉरमेशन सिस्टम (OTIS):-

इस प्रणाली के तहत जुलाई 2013 से वेब ओटिस का विस्तार किया गया है जिसके तहत सभी खजानों/ उप खजानों को बैंक एवं महालेखाकार के कार्यालय से समेकित किया गया है। वित्तिय प्रंबधन के तहत ओटिस (OTIS) को अन्य प्रणाली जैसे कि ऑनलाईन बजट, ई–बिलिंग इत्यादि से जोड़ दिया गया है। इसके फलस्वरूप सभी प्रकार के बिलों का भुगतान अब बिना बजट की उपलब्धता के अलावा वित्त विभाग की अनुमोदन के बिना तय मानक के उपर के रकम के बिल खजानों द्वारा पास नहीं किया जा सकता है। अब ओटिस (OTIS) द्वारा ही मासिक लेखा तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा रहा है। बैकों द्वारा भी वेब ओटिस (Web OTIS) का प्रयोग कर भुगतान आदेशों के तहत भुगतान किये जा रहे है। ओटिस प्रणाली में निम्नलिखित कार्य भी किये जाते है:–

(a) e-Stocking

इस प्रणाली मे विभिन्न प्रकार के स्टाम्पस की गणना, रख रखाव एवं बिकी हेतु ई–सटोकिगं e-Stocking का विस्तार किया गया है। खजानों द्वारा अब किसी भी प्रकार के स्टाम्प की बिकी हेतु इन्डेट बनाकर डबल लोक से स्टाम्पस की बिकी की जाती है। इस प्रणाली को ई–ग्रास e-Gras से जोडा गया है।

(b) इसी तहत ओटिस में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस) के तहत कर्मचारियो/ अधिकारियों के बिलों द्वारा काटे गए एन.पी.एस राशि का रिपोट तैयार कर एन.एस.डी.एल को खजानों द्वारा समयबद्ध तरीकों से भेजा जाता है।

9. विभाग की अन्य उपलब्धियाँः—

विभाग द्वारा समेकित वितीय प्रबंधन प्रणाली के तहत शुरू किये गये विभिन्न योजनाओं/ प्रणाली के लिए निम्नलिखित पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हो चुके हैः—

1. समेकित वितीय प्रबंधन प्रणाली हेतु राज्य सरकार को सी.एस.आई निलहिट (CSI- Nihilent) सर्वोत्तम अवार्ड 2015 में दिया गया है।
2. ई—पेंशन में जीवन प्रमाण के शुरूआत करने हेतु वित्त विभाग को स्कॉच ग्रुप द्वारा सबसे कुशल शासन के खिताब से नवाजा गया है।

10. बजट एंव व्यय

Directorate of Treasuries & Accounts Department, Haryana, Chandigarh			
Budget and Expenditure of FY 2015-16			
Sr. No.	**Name of the Scheme**	**Approved Budget (2015-16)**	**Expenditure (2015-16)**
1	N-51-06-2054-51-003-99-51-R-V Accounts Training Institute - N.A.	4715000	4276921
2	N-51-06-2054-51-095-97-51-R-V Creating of employee and pension data base with Thirteenth Finance Commission Grant - N.A.	550000	251246
3	N-51-06-2054-51-095-97-51-R-V Creating of employee and pension data base with Thirteenth Finance Commission Grant - N.A.	25000000	24965861
4	N-51-06-2054-51-095-99-98-R-V Headquarter Staff - Establishment Expenses	34100000	32655065
5	N-51-06-2054-51-095-99-99-R-V Headquarter Staff - Information Technology	50000	0
6	N-51-06-2054-51-097-99-98-R-V Treasury Staff - Establishment Expenses	253733000	251750493
7	N-51-06-2054-51-097-99-99-R-V Treasury Staff - Information Technology	4168000	4167114
8	N-51-06-2054-51-800-99-98-R-V Provision for State budget Preparation Exercise & Control - Establishment Expenses	101000	100492
9	N-51-06-2071-01-117-99-98-R-V Defined contributory Pension Scheme of Haryana - Government Contribution to Mahatma Gandhi Swavlamban Pension Scheme	1200000	1166750
	Total	**323617000**	**319333942**
10	P-01-06-2054-51-095-96-51-N-V Integrated Finance and Human Resource Management Information System - NA	30001000	4459384
11	P-01-06-2054-51-095-99-99-N-V Headquarter Staff - Information Technology	14998000	6120852
12	P-01-06-2054-51-097-98-51-N-V Provision of Basic Infrastructure in the Treasuries/Sub-Treasuries for congenial working condition in the public interest - NA	20000000	0
13	P-01-06-2054-51-097-99-98-N-V Treasury Staff - Establishment Expenses	20000000	13436942
14	P-01-06-2054-51-097-99-99-N-V Treasury Staff - Information Technology	1000	0
	Total	**85000000**	**24017178**
	Grand Total	**408617000**	**343351120**